

7/2/18

123/05 मॉरीस — मात्री देवी

पत्रावली प्रेषण/ अनुदान परीक्षा हाजिरी आवेदन द्वारा रैफने लायन डिप्लोमा के दिनांक 10.1.18 पर उच्च पक्ष के कर्मियों को सुना गया। आवेदन में दर्ज बंधों के अंतर्गत अपीलें अतरी देवी की हल्क 5.12.16 को हो चुकी है तथा रैफने स. 2, 6, 7, एवं 8 की भी मूल्यांकन चुकी है किंतु अपीलें द्वारा कोई का. मु की कार्रवाई नहीं की गई है। निर्धारित काल में का. मु की कार्रवाई नहीं होने के कारण अपील स्वतः अवर हो चुकी है इस हेतु अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलें को निरस्त करने हेतु भी कोई आदेश नहीं है अतः सम्पूर्ण अपीलें अवर होने के कारण अपीलें खारिज की जाती हैं। तथा प्रार्थना पत्र अपीलें दिनांक 10.1.18 को स्वीकार किया गया है।

निर्णय आज दिनांक 7.2.18 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलें शुभ होकर वकाल से कम हो

7/2/18
 (मेवा लाल मेहरा) SO cum RAA Sikar